न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2020 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्री मगनू झा पुत्र स्व॰ श्री घुटर झा (मृतक दौराने अपील)
2. श्रीमती अनमना देवी पत्नी श्री मगनू झा

जाति ब्राह्मण, निवासीगण मकान नम्बर 11/536, व 11/544 मालवीय नगर, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. भृगु झा पुत्र श्री मगनू झा जाति ब्राह्मण निवासी 11/489, मालवीय नगर जयपुर ।
2. पुरूषोत्तम झा पुत्र श्री मगनू झा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नं॰ 196, बी ब्लाक, आर एफ सी एनक्लेव, वी आई टी रोड, जगतपुरा, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 18.12.2019 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 17/2019 ब उनवानी मगनू झा बनाम भृगु झा व अन्य ।

उपस्थित:–

1. अपीलार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है ।
2. प्रत्यर्थी 2 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 14.09.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 17/2019 ब उनवानी मगनू झां बनाम भृगु झा व अन्य निर्णय दिनांक 18.12.2019 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा भी अपीलाधीन आदेश के विरूद्व पृथक से अपील पेश की गई है जो इस पत्रावली के शामिल की गई।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस प्रत्यर्थीगण को जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुये। उभय पक्ष ने दौराने कार्यवाही अपीलार्थी संख्या 1 श्री मगनू झा का फोत होना जाहिर किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अपीलार्थी संख्या 2 व प्रत्यर्थी संख्या 2 उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थीगण का बडा पुत्र है व प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण का छोटा पुत्र है। जिन पर अपीलार्थीगण का भरण पोषण, सार सम्भाल का विधिक दायित्व व नैतिक कर्तव्य है। जिससे

मजिस्ट्रेट
टर) जयपुर

प्रत्यर्थीगण विमुख हो रहे है। इस कारण यह अपील प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। प्रत्यर्थी संख्या 1 मन्दिर का पुजारी है व मन्दिर में सेवा पूजा कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है व प्रत्यर्थी संख्या 2 पेशे से पत्रकार है व कोचिंग सेन्टर चलाता है तथा प्राईवेट स्कूल में भी अध्ययन कराता है जिससे प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रति माह करीबन एक लाख रूपये जैसी अच्छी आय अर्जित करता है। अपीलार्थीगण ने अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण व शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे तरीके से किया व प्रत्यर्थीगण को इस काबिल बनाया कि वह दोनों अपने कमाने खाने के लिए अच्छी तरह से सक्षम हो व दोनों का विवाह भी बहुत ही धूमधाम से अच्छी तरह से किया व अपीलार्थीगण ने अपने दोनों पुत्रों से यह भी उम्मीद रखते है कि उनके बुढापे में अपीलार्थीगण को अच्छी तरह से ध्यान से रखेंगे व सेवा सुश्रषा करेंगे, लेकिन प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण का वर्तमान में किसी प्रकार से कोई सार सम्भाल, भरण पोषण, सेवा सुश्रषा व बीमार होने पर कोई ईलाज नहीं करवाते है जिसके कारण अपीलार्थीगण आज इस बुढापे में बेटों के सहारे से वंचित हो रखे है। प्रत्यर्थी नम्बर–2, शुरू से ही आपराधिक व गुण्डा प्रवृति का रहा है व विवाह के बाद प्रत्यर्थी नम्बर 2 की अपीलार्थी नम्बर 1 के सभी परिवारजन के विरूद्व कुरता ओर बढ गई जिससे परेशान हो कर प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने परिवारजन को लेकर वर्ष 2011 से अलग रहने लग गया उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अत्यधिक कुरता अपीलार्थीगण के साथ कारित करने लग गये व उसी दिन से अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा मानसिक, आर्थिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया जाने लगा व लगातार मकान को हडपने की नियत से प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थीगण को नाजाय रूप से खाली कागजो पर हस्ताक्षर कराना, मारपीट करना, गाली गलोच. की जा रही है जो वर्तमान में भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा लगातार दी जा रही है। जिससे प्रार्थीगण को वर्तमान में काफी परेशानियों से गुजरना पड रहा है व मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से परेशान हो रहे है व समय पर सार सम्भाल व सेवा सुश्रषा ना होने से अपीलार्थीगण अधिकतर समय बीमरियों से ग्रसित होकर शारीरिक यातनाए सहन कर रहे है। प्रत्यर्थी संख्या 2 की लगातार कुरता इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने वर्ष 2012 में अपीलार्थीगण को उक्त वर्णित पते से मारपीट कर धक्के देकर घर से निकाल दिया व अपीलार्थीगण के उक्त वर्णित पते परिसर पर रिहायश करने लगा गया। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा की गई सभी घटनाओं की शिकायतें समय समय पर पुलिस प्रशासन को दी व उसी दौरान अप्रार्थी संख्या 2 ने अपीलार्थीगण पर नाजायज दबाव बनाने की नियत से अपनी पत्नी अर्चना झा की ओर से धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक परिवाद जून :2012 में दर्ज कराया था जिसे माननीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई हिंसा कारित ना होना मान कर प्रत्यर्थी संख्या 2 की पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद को खारिज फरमा दिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 का रवैया धारा 12 का परिवाद खारिज किये जाने के बाद और भी हिंसक हो गया व अपीलार्थीगण को आते जाते झूंठी फब्तीयां कस कर मानसिक रूप से प्रताडित किया जाने लग गया व अपीलार्थी गण के वर्णित पते पर आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति गुण्डा मवालियों व असामाजिक तथ्यों को लेकर मांस मदिरा की पार्टियों का आयोजन किया जाने लगा गया व उपर जोर जोर से धमाके कर अपीलार्थीगण को इस बुजुर्ग अवस्थां में मानसिक रूप से प्रताडित किया जाने लगा गया। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 2 की हरकतों से परेशान होकर प्रत्यर्थी

संख्या 2 व उसकी पत्नी अर्चना झा को अपीलार्थीगण ने अपनी सम्पत्ति से वेदखल कर इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रं में प्रकाशित करवाई थी। उसी दौरान अपीलार्थी संख्या 2 अत्यधिक बीमार रहने लग गई । प्रत्यर्थी संख्या 2 की गलत हरकतों व नाजायज परेशान करने की हरकतों को देखते हुए अपीलार्थी संख्या 1 के द्वारा एसडीएम जयपुर के यहां वर्ष 2013 में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 28.02.2014 को एसडीएम जयपुर से अन्तिम आदेश पारित किया गया जिसकी पालना भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा पूर्णरूप से आज दिन तक नहीं की गई। प्रत्यर्थी संख्या 2 कुछ वर्ष पूर्व अपीलार्थीगण के परिसर को खाली कर अपने स्वयं के मकान गेटोर रोड जगतपुरा जयपुर में रिहायश करने लग गया व अपीलार्थीगण के परिसर में काफी तोड फोड व नुकसान कारित कर गया जिसको दुरूस्त कराने बाबत दिनांक 13.04.2019 को अपीलार्थी संख्या 2 प्रार्थी संख्या 1 की मौजूदगी में मजदूर से रंग रोगन व मरम्मत आदि का काम शुरू करवाया ही था कि इतने में अचानक प्रत्यर्थी संख्या 2 अपने मित्र कमल भोजवानी, मनोज, व अन्य दो व्यक्ति को साथ लेकर गुस्से में आग बबूला हो कर धनधाते हुए आये व अपीलार्थीगण के परिसर में जबरन ताला लगाने का प्रयास किया तो अपीलार्थीगण के द्वारा विरोध करने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसके साथ आये लोगों के द्वारा अपीलार्थीगण के साथ इस उम्र में गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा इस सूचना पर तुरन्त पुलिस थाना जवाहर सर्किल को दी गई लेकिन पुलिस थाना जवाहर सर्किल के द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर अगली दिनाक 14.04.2019 को अपीलार्थीगण की बडी बहू रानी झा अपीलार्थीगण को सम्भालने व दवाईयां देने आई हुई थी। उसी दौरान अचानक प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसके चार साथी के साथ जरबन घर में घुस कर अपीलार्थी संख्या 2 व रानी झा के साथ भयानक रूप से मारपीट की गई जिससे अपीलार्थी संख्या 2 व रानी झा के शरीर पर काफी चोटे आई। तमाम घटना की भी सूचना पुलिस थाना जवाहर सर्किल में की गई बल्कि अगले दिन प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थीगण के परिसर में आपराधिक प्रवृति के गुण्डे रखवा दिये व उनसे अपीलार्थीगण की सम्पत्ति को स्वयं की सम्पत्ति बतलाते हुए किरायानामा बनवा कर किराये पर दे दिया व किराये पर दी गई सम्पत्ति की आय से प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं लाभ अर्जित कर रहा है। जिसकी शिकायत भी संबंधित थाने में की गई जिस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण के स्वयं की अर्जित आय की सम्पत्ति पर अपीलार्थीगण की बिना इजाजत आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों को नाजायज रूप से किराये पर देकर किराये की आय अर्जित कर रहा है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा जबाब प्रस्तुत करते हुये लिखित बहस प्रस्तुत की गई व प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से जबाब प्रस्तुत ना कर धारा 11 सी पी सी के प्रावधान के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा दिनांक 27.11.2019 को खारिज फरमा दिया गया । अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा रिकार्ड पर लिया जा कर बहस सुनी गई। अन्तिम बहस सुनने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जा कर लिखित बहस पेश करने के बाद उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया जिसे अधीनस्थ अधिकरण ने रिकार्ड पर लेकर दिनांक 18.12.2019 को आलौच्य आदेश पारित किया गया जो कि विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थीगण का बडा पुत्र है जो अपीलार्थीगण से वर्ष 2011 से स्वयं के मकान नम्बर 11/489 मालवीय नगर जयपुर में मय परिवार रिहायश

कर रहा है। अधीनस्थ अधीकरण के आलौच्य आदेश दिनांक 18.12.2019 की प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पालना की जा रही है। प्रत्यर्थी संख्या 2 जो कि अपीलार्थीगण का छोटा पुत्र है ने अपनी जबाब देही व लिखित बहस में झूंठे तथ्य अंकित किये ह जिनके सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया व अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष स्वयं को जबाब देही के समर्थन में परिक्षित भी नहीं कराया जिससे यह साबित हो सके कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा अंकित तथ्य सही हो । इस कारण आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 13.11.2019 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर जबाब पेश किया गया था प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत जबाब देही में लिखे गये तथ्यों की अधीनस्थ अधिकरण ने संबंधित थाना जवाहर सर्किल से जांच नहीं करवाई और ना ही इसके संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 के बयान कलमबद्ध किये। जबकि अधीनस्थ अधिकरण को अन्तर्गत धारा 8 वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत पूर्ण अधिकार है कि वह ऐसी किसी भी मामले की जांच करवा सकता है। इसके बाजवजूद भी अधीनस्थ अधिकरण ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश पारित किया जो अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी वरिष्ठतम नागरिक की श्रेणी में आते है । अत: अपीलार्थीगण के स्व अर्जित आय के मकान से प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा अवैद्य व नाजायज रूप से रखे हुए किरायेदारों से परिसर तत्काल खाली करवा कर अपीलार्थी को सम्भलाया जावे तक अपीलार्थी इस बुढापे में आराम से अपने मकान में रह कर बचा खुचा जीवन बसर कर सके। प्रत्यर्थी संख्या 2 को इस बात से भी पाबन्द किया जावे कि वह भविष्य में अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई शारीरिक व मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताडित ना करे। और अपीलार्थी के परिसर में अपने सुसराल की शह से अपीलार्थीगण के परिसर को उपयोग उपभोग में ना लेवे और नही परिसर पर स्वयं का किसी प्रकार से ताला लगावे । प्रत्यर्थी को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलार्थी को प्रति माह भरण पोषण व आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्यर्थीगण 10–10 हजार रूपये अपीलार्थी को देवे या दे कर दी गई राशि की प्रत्येक माह रसीद प्राप्त कर लेवे या अपीलार्थी के बैक खाता में जरिये चैक या आकान्ट पे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करावे। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा किये गये उक्त सभी कृत्यों को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी को भयानक, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानिया हो रही है। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 से अपीलार्थी को एक मुश्त 50,000/–रूपये दिलवाये जावे। साथ ही हर्जे खर्चे व अन्तरिम राहत राशि के तौर पर 25,000/–रूपये तत्काल दिलाये जावे। अपीलार्थी की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुये जो अनुतोष उचित समझे वह प्रत्यर्थी संख्या 2 से दिलवाये जावे और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने स्वयं का मकान नम्बर 196 बी, ब्लाक आरएफसी एनक्लेव वीआईटी रोड जगतपुरा जयपुर को खरीद कर लिया और वही मय परिवार रिहायश कर रहा है अपीलार्थी संख्या 2 की स्वयं की आय से खरीद शुदा मकान नम्बर 11/544 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जबरन कब्जा कर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को किराये पर दे रखा है व स्वयं उक्त परिसर का मालिक ना होते हुये भी विधि के विरूद्ध उनको स्वयं को मालिक बताते हुये किराये पर दे रखा है जिनसे खाली कराने के आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि अपीलार्थी मकान संख्या 11/544 पर निवास कर रही है। अपीलार्थी मात्र

मकान संख्या 11/536 में निवास कर रहे है। जबकि मकान संख्या 11/544 में प्रत्यर्थी संख्या 2 उत्तरदाता का कब्जा है तथा इसमें निवास उपयोग व उपभोग कर रहा है। अपीलार्थी का यह कहना भी गलत है कि मकान संख्या 11/536 व 11/544 अपीलार्थी की स्व अर्जित आय से खरीदशुदा हो । जबकि सही तथ्य यह है कि मकान संख्या 11/536 गांव की पुश्तैनी जमीन बेच कर उस राशि से हाउसिंग बोर्ड से अलाट एवं नो ड्यूज करवाया था जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 का भी हित निहित है। अपीलार्थी का यह कहना भी गलत है कि मकान संख्या 11/544 अपीलार्थी की निजी आय से खरीदा गया हो। जबकि सही तथ्य यह है कि मकान संख्या 11/544 में प्रत्यर्थी संख्या 2 पूंजी लगी हुई है और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यह मकान खरीदने में अपीलार्थी को आर्थिक सहयोग किया है। उक्त दानों मकानों में प्रत्यर्थी संख्या 2 का सिविल हित निहित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का बडा व छोटा पुत्र होने में कोई विवाद नहीं है, परन्तु शेष तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गए है स्वीकार नही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी स्वयं अपने बडे पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी रानी झा के गलत प्रभाव में है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी अपीलार्थी की वृद्वावस्था का फायदा उठा कर बहका कर आए दिन प्रत्यर्थी संख्या 2 उत्तरदाता के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों एवं थानों में मनगढन्त व झूंठे परिवाद करते रहते है। प्रत्यर्थी संख्या 2 हमेशा अपीलार्थीगण की सेवा करता आया है और अब उसकी पत्नी के बहकावे में आ कर उत्तरदाता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसकी पत्नी के साथ गाली गलौच करते है एवं मारपीट करने पर उतारू रहते है। अपीलार्थी का यह कहना भी गलत है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मन्दिर का पुजारी हो और मन्दिर में सेवा पूजा कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो। जबकि सही तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 उच्च शिक्षा प्राप्त एन एस सी बी एड व्यक्ति है वह शैक्षणिक कार्य करता है एवं घर पर बच्चों को ट्यूशन पढाता है जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 को करीब 1 लाख रूपये की आय अर्जित होती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को करीब एक लाख रूपये की आय अर्जित होती है । प्रत्यर्थी संख्या 1 की पत्नी भी उच्च शिक्षा प्राप्त महिला है एवं भारत पब्लिक स्कूल में वरिष्ठ अध्यापिका है। वह भी करीब 50,000/–रूपया मासिक आय अर्जित करती है। अपीलार्थी का यह कहना भी गलत है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उत्तरदाता कोई पत्रकार हो। प्रत्यर्थी संख्या 2 मात्र एक प्राईवेट स्कूल में पढाता है जिससे उसे मात्र दस हजार मासिक आय अर्जित होती है। प्रत्यर्थी कोई कोचिंग सेन्टर भी नहीं चलाता है एवं बा मुश्किल अपना, पत्नी एवं दो बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। अपीलार्थी का यह कहना भी गलत है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उत्तरदाता शुरू से ही आपराधिक एवं गुण्डा प्रवृति का रहा हो एवं विवाह के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 का अपीलार्थी के सभी परिजनों के विरूद्व क्रूरता का व्यवहार बढ गया हो । अपीलार्थी गलत एवं मिथ्या कथन कर रहे है जिसका सत्यता से कोई सरोकार नहीं है। जबकि सही तथ्य यह है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी के बहकावें में आकर प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसकी पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करते आए है प्रत्यर्थी संख्या 2 उत्तरदाता ने कभी प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं उसके परिवार को परेशान नहीं किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है व उसकी पत्नी 2011 में अपीलार्थी से नाराज हो कर अलग रहने लग गए । अपीलार्थी जब भी बीमार हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 उत्तरदाता ने उनका सरकारी अस्पताल में ईलाज कराया है। मकान संख्या 11/544 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 उत्तरदाता का पूर्व में भी कब्जाथा और वर्तमान में भी है। प्रत्यर्थी संख्या 2 मकान संख्या 11/544 का

जिस्ट्रेट
र) जयपुर

वर्तमान में उपयोग एवं उपभोग कर रहा है । अपीलार्थी मकान संख्या 11/536 में निवास कर रही है। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 का कोई दखल नही है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 को परेशान करने के लिए उत्तरदराता के विरूद्व मनगढन्त एवं झूंठी शिकायतें करने की आदि है। प्रकरण में उल्लेखित मकान संख्या 11/536 में स्थित दुकानों को दुकानों को किराये पर दे रखा है जिसमें मौके पर फोटोग्राफ प्रार्थी ने प्राप्त किये है और उक्त परिसर में स्थित दुकान के किरायेदार ने प्रार्थी को लिख कर दिया है कि यह श्रीमती अनमनाा देवी को उक्त दुकान का मासिक किराया 2500/–रूपये अदा करता है और अपीलार्थी को विधवा पेन्शन प्राप्त हो रही है। अपीलार्थी संख्या 1 का देहान्त हो चुका है। इसलिए दी जा रही भरण पोषण की राशि आधी किया जाना न्याय संगत है। दूसरे मकान से बेदखल किये जाने के मामले में माननीय अधिकरण को क्षेत्राधिकार नहीं है । इसके लिए सिविल न्यायालय सक्षम है। अतः अपील खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष की बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण से 10–10 हजार रूपये कुल बीस हजार रूपये बतौर भरण पोषण चाहा है, परन्तु अधिनियम में अधिकतम दस हजार रूपये ही दिये जाने का प्रावधान है। इस मामले में अधीनस्थ अधिकरण ने 5–5 हजार रूपये कुल 10,000/–रूपया अपीलार्थीगण को भरण पोषण दिये जाने का आदेश पारित किये है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी संख्या 1 का देहान्त होने एवं अपीलार्थी संख्या–2 के पास दुकान का किराया, एवं विधवा पेन्शन राशि मिलने से प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भरण पोषण राशि 5–5 हजार रूपये के बजाय आधी राशि 2500–2500 रूपये किये जाने का निवेदन किया है। यदि अपीलार्थी ने दुकान किराये पर दे रखी है, तो उतनी राशि कम करके बाकी की बराबर बराबर राशि का भरण पोषण प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी को देय होगा। अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय इस तथ्य की जांच करके राशि तय करेंगें। अपीलार्थी जिस मकान में रह रही है, उसमें प्रत्यर्थीगण कोई हस्तक्षेप नहीं करें। दूसरा मकान प्रत्यर्थी संख्या 2 से खाली कराने बाबत क्षेत्राधिकार इस अधिकरण का नहीं होकर सिविल न्यायालय को है । अतः इसके लिए अपीलार्थी सिविल न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार की कोई शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताडित नहीं करने के लिए अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थीगण को पाबन्द किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण इसकी पालना कराया जाना सुनिश्चित करे। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्ष को निः शुल्क उपलब्ध कराई जावे। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेश की प्रति प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर